संख्या- 117/2023/1553/छप्पन-2023-11/2013टी.सी.-2

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2023

विषय: जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों को प्रतिस्थापित करने में होने वाले व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 206/आर0सी0एस0-2023-ए-3/2018 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों को प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधित प्राक्कलन रू0 49.2527 करोड़ एवं स्वीकृत लागत/अवमुक्त धनराशि रू0 47.54 करोड़ के अन्तर की धनराशि रू0 1.7127 करोड़ (रूपए एक करोड़ इकहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को भुगतान किए जाने हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013 टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जाने वाली कुल धनराशि रू0 85.64 करोड़ (रूपया पच्चासी करोड़ चौंसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से रू0 47.54 करोड़ की धनराशि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तथा रू0 38.10 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 को भुगतान की जानी थी।

प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 85.64 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1.	111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021	2,00,00,000/-
2.	35/2022/485/छप्पन-2022-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 30 मार्च, 2022	5,00,00,000/-
3.	43/2022/635/छप्पन-2022/001-56-1099-2-2021 दिनांक 05 मई, 2022	5,00,00,000/-
4.	80/2022/1517/छप्पन-002-56-1099-2-2021 दिनांक 29 सितम्बर, 2022	32,10,00,000/-
5.	89/2022/1860/छप्पन-003-56-1099-2-2021 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022	41,54, 00,000/-
	कुल धनराशि	**85,64,00,000/-**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों (33 के0वी0 तथा 11 के0वी0) को प्रतिस्थापित करने में हुए व्यय के सम्बन्ध में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को भुगतान किए जाने हेतु संशोधित प्राक्कलन रू0 49.2527 करोड़ एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को पूर्व में स्वीकृत लागत/अवमुक्त धनराशि रू0 47.54 करोड़ के अन्तर की धनराशि रू0 1.7127 करोड़ (रूपए एक करोड़ इकहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् रू0 1.7127 करोड़ (रूपए एक करोड़ इकहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/ 2013टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 1.7127 करोड़ (रूपए एक करोड़ इकहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-336/दस-2023-24, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 117/2023/1553/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/ ऊर्जा अनुभाग-3.

7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in